न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–15/2018–19

प्रथम पक्षः–बसन्त ठाकुर, ग्राम–पीरी, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–गोपाल राणा, तुलसी राणा एवं अन्य, ग्राम–पीरी, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

1 | 2 | 3

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया आवेदक–बसन्त ठाकुर, पिता–स्व0 चिन्तामणी ठाकुर, ग्राम–पीरी, थाना–सिमरिया के अभ्यावेदन पर प्रारम्भ किया गया हैं। इस वाद में विपक्षी गोपाल राणा, तुलसी राणा एवं अन्य हैं। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	रकबा
पीरी	69	347	0.35 डी0

आवेदक के आवेदन की प्रविष्टि के बाद उभय पक्षों से लिखित कथन प्राप्त किया गया। प्रथम पक्ष बसंत ठाकुर की ओर से इस न्यायालय को यह बताया गया कि खाता नं0–69, प्लॉट नं0–575, रकबा–28 डी0 और खाता नं0–69, प्लॉट नं0–347, रकबा–35 डी0 भूमि मो0 सुमित्रा देवी वगै0 से निबंधित केवाला के द्वारा वर्ष–1981 में प्राप्त किया गया है। खरीदगी भूमि का सरकारी रसीद आवेदक के नाम से निर्गत हो रहा है, परन्तु इसी भूमि पर विपक्षी ने भूमि हड़पने की नीयत से 12 डी0 तथा 13 डी0 कुल–25 डी0 भूमि का वासगीत पर्चा अंचल कार्यालय से निर्गत करा लिया है, जो कि खाता नं0–69, प्लॉट नं0–575, रकबा–28 डी0 भूमि के अन्तर्गत पड़ता है। प्रथम पक्ष ने आगे यह भी कहा है कि उग्रवादी संगठन की मदद से खाता नं0–69, प्लॉट नं0–347, रकबा–35 डी0 भूमि को भी पोखन यादव, यदु यादव और रविचर यादव ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है तथा बाद में गलत ढंग से जमाबन्दी भी करा लिया है। अंचल अधिकारी, सिमरिया से न्याय हेतु उन्होंने प्रार्थना किया, परन्तु विपक्षी के प्रभाव में आकर अंचल अधिकारी ने उसके साथ न्यायोचित निर्णय नहीं किया। अपने दावे के समर्थन में इन्होंने निबंधित केवाला तथा लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल किया है।

दूसरी ओर द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि प्रथम पक्ष का केवाला सही नहीं है, कारण सुमित्रा देवी ने कभी भूमि बिक्री नहीं किया है। वर्त्तमान में भी प्रश्नगत भूमि का मालगुजारी रसीद विपक्षी संख्या–2 तथा 3, 4 के पूर्वजों के नाम से निर्गत हो रहा है। विपक्षी संख्या–01 और 02 को BPPHT Act के अन्तर्गत वासगीत पर्चा अंचल कार्यालय, सिमरिया से दिया गया है, जिसका रकबा–12 डी0

Scanned with OKEN Scanner

तथा 13 डी0, कुल रकबा–25 डी0 है। इस भूमि पर वह कब्जा में भी है। द्वितीय पक्ष ने आगे यह कहा है कि विपक्षी संख्या–3, 4, 5 समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तथा खाता नं0–69, प्लॉट नं0–347, रकबा–35 डी0 भूमि से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें जबरन इस वाद मे फंसा दिया गया है। पुनः कहते हैं कि खाता नं0–31, प्लॉट नं0–347, रकबा–31 डी0 भूमि से ये लोग वास्ता रखते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज कैल महतो वगै0के नाम से इस भूमि की जमाबन्दी कायम है तथा लगान रसीद भी निर्गत हो रहा हैं। अपने दावे के समर्थन में द्वितीय पक्ष ने वासगीत पर्चा की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति तथा प्रतिवादी संख्या–3, 4, 5 की तरफ से दाखिल मालगुजारी रसीद की छायाप्रति संलग्न किया है।

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों के दावे–प्रतिदावे से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष जहाँ निबंधित केवाला के आधार पर प्रश्नगत भू–खण्ड पर अपना दावा करते हैं, वहीं द्वितीय पक्ष के सदस्यगण तुलसी राणा, गोपाल राणा वासगीत पर्चा के आधार पर एवं प्रतिवादी पोखन यादव, यदु यादव, रामविचार यादव खतियानी रैयत के वारिशान के आधार पर खाता नं0–31, प्लॉट नं0–347, रकबा–31डी0 अपनी भूमि पर दावा करते हैं। खाता नं0–69, प्लॉट नं0–347, रकबा–35 डी0 भूमि पर विपक्षी के द्वारा दावा भी नहीं किया गया है। जहाँ तक खाता नं0–69, प्लॉट नं0–575, रकबा–25 डी0 भूमि का प्रश्न है तो इस भूमि पर तुलसी राणा तथा गोपाल राणा की जमाबन्दी वासगीत पर्चा के आधार पर आधारित है। इस प्रकार की जमाबन्दी को रद्द करने के लिए अद्योहस्ताक्षरी का न्यायालय सक्षम न्यायालय नही है। प्रथम पक्ष इसके लिए सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

27/5/2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

27/5/2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.18 15:47:50 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner